

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग  
अधिसूचना  
(शुद्धि पत्र)

अधिसूचना सं०-8596 सह पठित जापांक 8596 दिनांक 02.08.10 में उल्लिखित पूर्व धारित पद/जिला का नाम श्रम निरीक्षक "भोजपुर" के स्थान पर पूर्व धारित पद/जिला का नाम श्रम निरीक्षक "दरभंगा", पदा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

जापांक:- 9707

दिनांक:- 20/8/10

शा०वि० - 2/स्था०-1-04/10

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० के साथ (दो प्रतियाँ में) सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

जापांक:- 9707

दिनांक:- 20/8/10

प्रतिलिपि- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड) पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

जापांक:- 9707

दिनांक:- 20/8/10

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम विभाग/सामान्य एवं प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा, निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/पटना/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/पटना/ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित सभी पदाधिकारी/ग्रामीण विकास विभाग के प्रशाखा- 2 एवं 3/श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., सूचना भवन, पटना एवं कम्प्यूटर कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित विभाग/नियंत्रि पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को अधिसूचित कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु अविलंब विरमित कर दिया जाय।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि आदेश का तत्क्षण अनुपालन कराकर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव